न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(भरतपुर)

0सं0, 97/2019,(जी.सी.एम.एस. न. 2019/00345) पीठासीन अधिकारीः— डॉ रवि कुमार गोयल (R.A.S.)

उनवान

1. खैमा पुत्र सुखराम जाति बलाई नि0 ग्राम नगला फौजदार तहसील डीग(मृतक)

1/1. मिहीलाल
1/2. कुंवर सिंह — पुत्रगण स्व0 खैमा
1/3. जगनलाल

1/4. सन्तो पत्नी स्व0 खैमा
1/5. सुनरी
1/6. रामा — पुत्रियां स्व0 खैमा
1/7. रज्जो उर्फ राजकुमारी

2. नेता उर्फ नेतराम
3. मोती — पुत्रगण सुखराम

4. श्यामलाल
5. सुन्दरलाल
6. प्रमचन्द — पुत्रगण टुण्डा
7. सुक्खनराम

8. छोटे पुत्र सोनपाल

जातियान बलाई नि0 ग्राम नगला फौजदार तहसील डीग

—वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग

—प्रतिवादी

दावा बावत उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 88,89 राज0 टि0 एक्ट,

निर्णय दिनांकः 29.08.2024

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बरान 1285/0.39, वाके ग्राम नगला चाहर तहसील डीग में स्थित है। विवादित आराजी वर्णित हाल बन्दोवस्त में गत आराजी खसरा नम्बर 1480 रकबा 2 बीघा 5 विस्वा वाके ग्राम अऊ तहसील डीग के बदले में बनाया

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

गया है। बन्दोवस्त से पूर्व विवादित आराजी ग्राम अऊ तहसील डीग के पटवार सर्किल में थी जिसे बाद में नवीन राजस्व ग्राम नगला चाहर बनने पर पटवार सर्किल नगला चाहर में शामिल कर दिया गया। वादीगण एक ही परिवार व कुटुम्ब के सदस्य है। विवादित आराजी वादीगण के दादा शोभाराम पुत्र नत्था जाति बलाई की कब्जे काश्त व गैर मौरोसी की आराजी थी, जिस पर उक्त शोभाराम वहैसियत खातेदार काविज था जिसकी मृत्यु के बाद वादी संख्या 01 लगायत 03 का पिता सुखराम व वादीगण संख्या 04 लगायत 07 का बाबा व वादी संख्या 08 का पिता टुण्डा वाहैसियत खातेदार काबिज हुए। वादीगण संख्या 04 लगायत 07 के पिता टुण्डा की भी मृत्यु हो चुकी है जिसकी मृत्यु के बाद से वादीगण संख्या 04 लगायत 07 विवादित आराजी में अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण विवादित आराजी पर पूर्वजों के समय से ही वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है तथा वादीगण ने विवादित आराजी पर मुताविक गलत तरीके पर खिलाफ मौका व कानून वादीगण को विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में खातेदार के स्थान पर गैर खातेदार दर्ज किया जा रहा है तथा वादीगण की जाति बलाई है जिसे भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया है। अतः निवेदन है कि दावा वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 1285/0.39 वाके ग्राम नगला चाहर तहसील डीग के हिस्सा 1/2 के वादीगण संख्या 01 लगायत 03 वाहिस्सा बरावर तथा हिस्सा 1/4 के वादीगण संख्या 04 लगायत 07 वाहिस्सा बरावर तथा हिस्सा 1/4 का वादीगण संख्या 08 को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। **पैरोकार सरकार** द्वारा दिनांक 27.09.2021 को अपना जबाब पेश किया गया। जबाव में वर्णित किया गया कि मताविक नकल जमाबन्दी वाके ग्राम अऊ तहसील डीग सम्बत 2015 मं साविक खसरा नम्बर 1480 पर शोभाराम वल्द नत्था कॉम चमार साकिन नगला फौजदार गैर मौरूसी साल 15 दर्ज रिकार्ड है। सम्बत 2028 से 2031 में साविक खसरा नम्बर 1480 खैमा व मोती व नेता पिस0 सुखराम वहिस्सा बरावर निस्फ दुण्डा व छोटे पिस0 सोनपाल व हि0 बरावर निस्फ गैर खातेदार साल 12 दर्ज रिकार्ड है। इस जमाबन्दी में खातेदारान की जाति दर्ज नहीं है व हाल जमाबन्दी वाके ग्राम नगला चाहर सम्बत 2071 से 2074 में भी जमाबन्दी सम्बत 2028 से 2031 की तरफ दर्ज इन्द्राज है।

दिनांक 11.07.2022 को दावे में निम्नांनुसार तनकीयात कायम की गईः—

1. आया वादीगण विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 02 वादपत्र के खातेदार काश्तकार घोषित करा पान के अधिकारी हैं?
2. दादरसी?

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

तहसीलदार डीग के पत्रांकःएल.आर./22/111 दिनांक 10.01.2023 से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित है कि आराजी खसरा नम्बर 1285/0.39 वाके ग्राम नगला चाहर तहसील डीग में मौके पर सरसों की फसल बोई हुई है।

तहसीलदार डीग के पत्रांकःएल.आर./24/1383 दिनांक 10.06.2024 से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित है कि आराजी खसरा नम्बर 1285/0.39 वारानी प्रथम पर रवी की फसल गेहूँ बोई हुई है। खाता संख्या 221 में वाके ग्राम नगला चाहर में कुंवर सिंह,जगनलाल, मिहीलाल पिस0 खैमा व हि. बरा. 1/14 राजकुमारी, रामवती, सुनारी पुत्रियां खैमा,सन्तो पत्नी खैमा व.हि.वरा. 2/21 मोहनसिंह उर्फ मोहन,रम्मो उर्फ रम्भो,डालचन्द पिस0 छोटे, प्रेमकुमारी, जमुना उर्फ जमना पुत्री छोटे व.हि.वरा. 1/4 टुण्डा पुत्र सोनपाल हि. 1/4 नेता, मोती पिस0 सुखराम व.हि.वरा. 1/3 जातियान बलाई सा.नगला फौजदार गैर खातेदार रिकार्ड दर्ज है।

तनकी संख्याः—1,आया वादीगण विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र में गैर खातेदार के स्थान पर अपने आपको खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी है?

उक्त तनकी को सावित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है उससे प्रमाणित है कि आराजी खसरा नम्बर 1285/0.39, वाके ग्राम नगला चाहर तहसील डीग में स्थित है, में वादीगण हिस्सा मुताविक जमाबन्दी कब्जा काश्त है। जबकि वादीगण को गैर खातेदार दर्ज किया हुआ है। उक्त आराजी उनकी खातेदारी की होना प्रमाणित है। वादीगण द्वारा अपने कब्जे को सावित करने के लिए सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड पेश किया गया। जिसमें खसरा गिरदावरी सम्बत 2075—2078,नकल जमाबन्दी हाल सम्बत 2071—2074, नकल साविक जमाबन्दी सम्बत 2015—2018 किता—02,नकल साविक जमाबन्दी सम्बत 2028 से 2031 तथा नकल मिलान क्षेत्रफल पेश किये गये। खसरा गिरदावरी सम्बत 2075—78 जिसमें वादीगण द्वारा बोई हुई जिंस दर्ज है। जिससे वादीगण का वर्णित आराजी पर लगातार कब्जा होना प्रमाणित है। अतः वादीगण का वाद दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य व कानूनी नजीरों तथा तहसीलदार डीग से प्राप्त रिपोर्ट्स से सावित होना प्रतीत है। ऐसी स्थिति में हम वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0 टि0 एक्ट, को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि :—

वादीगण का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित होने पर **स्वीकार** किया जाता है। आ.ख.नम्बर 1285/0.39, वाके ग्राम नगला चाहर तहसील डीग पर वादीगण को गैर खातेदार के स्थान पर

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

खातेदार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार डीग राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही से पूर्व यह सुनिश्चित करलें कि वादीगण पर कोई नियमानुसार राजकीय शुल्क तो बकाया नहीं है,अगर राजकीय शुल्क बकाया हो तो सम्बन्धित वादीगण से नियमानुसार शुल्क/राशि जमा राजकोष कराई जाकर ही वर्णित आराजी का राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करावें। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

उपखण्ड अधिकारी ★ डीग जिला डीग (राज.) ★

Scanned with OKEN Scanner